भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3989
दिनांक 25 मार्च, 2025 / 04 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश

†3989. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास स्थानीय समुदायों के साथ उनकी शिकायतों को दूर करने और वामपंथी उग्रवाद को पुनः उभरने से रोकने के लिए किसी प्रकार की वार्ता अथवा संवाद तंत्र मौजूद है.

(ग) क्या राष्ट्रीय नीति के अलावा कोई राज्य-विशिष्ट उग्रवाद रोधी रणनीति कार्यान्वित की जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। हालाँकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है। वामपंथी उग्रवाद (LWE) की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू की गई थी। इसमें एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक पहलें (इंटरवेंशन), स्थानीय समुदायों के अधिकारों तथा हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। सुरक्षा के फ्रंट पर, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियनों, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियों, उपकरणों तथा हथियारों, आसूचना के आदान-प्रदान, सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों की सहायता करती है।

• नीति में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से अवसंरचना के विकास की परिकल्पना की गई है। इस प्रयास में, भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कई विशिष्ट पहल की हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया गया है। इनमें से कुछ पहल निम्नानुसार हैं:

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3989, दिनांक 25.03.2025

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए 02 विशिष्ट योजनाओं अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (RRP) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना (RCPLWEA) के अंतर्गत 17,589 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है। इसमें से 14,618 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है।

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 10,505 मोबाइल टावर प्लान किए गए हैं, जिनमें से 7,768 टावर चालू हो चुके हैं।

- कौशल विकास के लिए, 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 61 कौशल विकास केन्द्र (SDC) स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 46 ITI और 49 SDC कार्यशील हैं।

- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 255 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 178 EMRS कार्यशील हैं।

- वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 5731 डाकघर खोले हैं। 1007 बैंक शाखाएं और 937 एटीएम खोले गए हैं और वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 37,850 बैंकिंग कॉरस्पॉण्डेण्ट (BC) शुरू किए गए हैं।

- विकास को और गति देने के लिए, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (SCA) के तहत, वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना में अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए निधियां उपलब्ध करायी गई हैं। वर्ष 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 3,563 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट योजनाओं के अलावा, गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भारत सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के इष्टतम कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करता है।

- स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने के लिए कई उपाय किए गए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को स्वामित्व विलेखों का वितरण। अब तक 21,15,936 स्वामित्व विलेख वितरित किए जा चुके हैं (20,15,337 – व्यक्तिगत और 1,00,599 – सामुदायिक) ।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3989, दिनांक 25.03.2025

- वामपंथी उग्रवादियों के प्रभाव से स्थानीय लोगों को दूर रखने के लिए, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए चिकित्सा शिविर, कौशल विकास जैसी विभिन्न नागरिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। वर्ष 2014-15 से अब तक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों को 196.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के आदिवासी युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (TYEP) आयोजित किए जा रहे हैं। TYEP के माध्यम से आदिवासी युवाओं को देश के अन्य भागों में विकास गतिविधियों तथा तकनीकी/औद्योगिक उन्नति से अवगत कराया जाता है और उन्हें देश के अन्य भागों के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव विकसित करने और उन्हें आकांक्षी बनने में सक्षम बनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य वामपंथी उग्रवादियों के दुष्प्रचार का मुकाबला करना भी है। वर्ष 2014-15 से अब तक 32500 युवाओं ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया है।

- वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने हेतु, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों की अपनी आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीतियाँ हैं। भारत सरकार भी 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम से इस प्रयास में राज्यों की सहायता करती है और आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवाद कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवाद कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के तहत हथियारों/गोला-बारूद के समर्पण के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तीन वर्ष के लिए 10000/- रुपये के मासिक स्टाइपेन्ड के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है।

• नीति के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र सीमित हुआ है। वर्ष 2010 के उच्च स्तर की तुलना में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं और इसके परिणामस्वरूप नागरिकों एवं सुरक्षा बलों की मौतों में वर्ष 2024 में क्रमशः 81% और 85% की कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल, 2018 में 126 से घटकर 90, जुलाई, 2021 में 70 और अप्रैल, 2024 में 38 हो गई।

• बेहतर कानून & व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थिति के साथ-साथ बुनियादी ढांचे में निवेश से सार्वजनिक/निजी निवेश में वृद्धि सहित उन्नत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है।

******